25/11/25 आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हेतु पेश हुयी। तदुनाप फरिकैन उप. पत्रावली का अध्ययन किया गया। वादी का वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर था० कि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] ([illegible]पुतली-[illegible])

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड

पीठासीन अधिकारी : श्री रामकिशोर मीना– ।। (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू	निर्णय दिनांक
138 / 2024	29.07.2024	25/11/25

उनवान

1 मनोज पुत्र नरेन्द्र पौत्र सुलतान जाति अहीर निवासी बहरोड तरफ गंगाबिशन तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 । .....वादी

बनाम

1. **अतुल कुमार पुत्र राजकुमार पौत्र विजयसिंह** जाति अहीर
2. **अनुप देवी पत्नी राजकुमार पुत्रवधु विजयसिहं** जाति अहीर
3. **राहुल कुमार पुत्र राजकुमार पौत्र विजयसिहं** जाति अहीर
4. **अशोक कुमार पुत्र विजयसिहं जाति अहीर**
5. **कान्ता पुत्री विजयसिहं जाति अहीर**
6. **दया पुत्री विजयसिहं जाति अहीर**
7. **धर्मवीर पुत्र विजयसिहं जाति अहीर**
8. **नरेश पुत्र विजयसिहं जाति अहीर**
9. **प्रेम पुत्री विजयसिहं जाति अहीर**
10. **शारदा पुत्री विजयसिहं जाति अहीर**
11. **सुशीला पुत्री विजयसिहं जाति अहीर** सभी निवासी बहरोड तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 ।
12. उप पंजीयक बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 ।
13. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थिति :– श्री मोहनलाल गुप्ता योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से।

।। निर्णय।।

1. पत्रावली पेश हुई। वादी द्वारा पेश दावा के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 80 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम बहरोड तरफ गंगाबिशन तहसील बहरोड मे स्थित है। जिसमे प्रतिवादी सं0 1 लगा0 11 एव इनकी बुजूर्ग हंसा पत्नी श्री विजयसिंह के नाम दर्ज खातेदारी हिस्सा–1/2 पर संवत 2012 से पुर्व से मन वादी का बुजूर्ग काबिज रहक काश्त करता आ रहा था तथा लेकिन उक्त आराजी की खातेदारी प्रतिवादीगण के बुजूर्ग विजयसिंह के नाम से दर्ज रिकार्ड थी जिसकी जानकारी मिन वादी के बुजूर्ग सुलतान जी

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड (कोटपूतली–बहरोड)

को होने पर गांव मे पंचायत मिटीग की गई जिसमे प्रतिवादीगण के बुजुर्ग ने उक्त आराजी मे अपने 1/2 हिस्से पुराने समय से मिन वादी के बुजूर्ग सुलतान पुत्र मंगलराम का कब्जा होने एवं मौके पर पुश्तैनी मकान बने होना स्वीकार करते हुऐ उक्त खसरा नम्बर मे अपने सम्पूर्ण 1/2 हिस्से का बेचान मौजिज लोगो के समक्ष मिन वादी के बुजूर्ग सुलतानसिंह पुत्र मंगलराम को बेचान कर दिया गया तथा हमारे बुजुर्गो का कब्जा काश्त संवत 2012 से पूर्व व लगातार किया गया है। जिसकी लिखतम गवाहो के समक्ष पांच रूपये के स्टाम्प पेपर पर दिनांक 30.08.1988 को की गई थी।

2. इस प्रकार उक्त खसरा नम्बर मे प्रतिवादी सं0 1 लगा. 11 एवं हंसा पत्नी विजयसिंह के नाम से दर्ज खातेदारी हिस्सा-1/2 पर मिन वादी का बुजूर्ग सुलतानसिंह एव उनके बाद मिन वादी के पिता तथा मेरे पिता के बाद मिन वादी मौके पर काबिज रहकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हूँ और मौके पर काबिज हूँ। आराजी मुजनाजा से प्रतिवादीगण का संवत 2012 से कोई किसी प्रकार का संबंध व सरोकार नही है। वादी के पिता द्वारा उक्त खसरा नम्बर 80 मे से 1/4 हिस्सा अन्य खातेदारो से खरीद किया गया है। जो हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे मिन वादी के नाम से दर्ज रिकार्ड है। इसलिए उक्त आराजी मुतनाजा के 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम का जिसे मिन वादी के बुजूर्ग सुलतानसिंह को लिखतम दिनांक 30.08.88 के जरिये बेचान किया उस पर एवं 1/4 हिस्सा जो अन्य सहखातेदारो से खरीद किया इस प्रकार उक्त खसरा नम्बर 80 मे से 3/4 हिस्से के मौके पर मिन वादी का पिता काबिज रहकर उपयोग उपभोग करते है उनके बाद मिन वादी काबिज हूँ तथा आज तक प्रतिवादीगण एवं उनके बुजूर्ग द्वारा आराजी मुतनाजा पर काबिज रहकर उपयोग उपभोग करने मे किसी प्रकार की दिक्कत बाजी नही करने पर रिकार्ड की जानकारी नही थी। लेकिन मिन वादी द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए जमाबन्दी की नकल लेने पर जानकारी हुई कि उक्त खसरा नम्बर मे 1/2 हिस्से की खातेदारी विजयसिंह के वारिसान के नाम से दर्ज रिकार्ड है। जिस गलत रिकार्ड की जानकारी मिन वादी ने प्रतिवादीगण को देकर रिकार्ड मे खातेदारी लिखतम दिनांक 30.08.88 के आधार पर वादी के नाम दर्ज करवाने के लिए कहा गया तो पहले तो प्रतिवादीगण ने रिकार्ड मे खातेदारी मिन वादी के नाम दर्ज करवाने की हॉं भरली थी लेकिन दिनांक 15.07.2024 को प्रतिवादीगण ने आराजी मुतनाजा मे 1/2 हिस्से की खातेदारी मिन वादी के नाम से दर्ज करवाने से साफ इंकार कर दिया और आराजी मुतनाजा के हाल रिकार्ड मे दर्ज खातेदारी की आड मे आराजी मुतनाजा को दिगर जगह मुन्तकिल करने की धमकी दी गई। इसलिए मिन वादी द्वारा यह दावा पेश किया जाना आवश्यक हुआ है तथा वादी ने अपने दावा मे वाद ग्रस्त खसरा नम्बर 80 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम गंगाबिशन के हाल राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी सं0 1 लगा0 11 व हंसा पत्नी विजयसिंह के नाम से दर्ज खातेदारी हिस्सा-1/2 पर से, इनके बुजूर्ग विजयसिंह द्वारा गांव की पंचायत मे विवादित भूमि पर वादी के बुजूर्ग का काफी वर्षो से मकान बनाकर लगातार कब्जा होना स्वीकार करने एवं पंचायत मे तय बातो पर की गई लिखतम दिनांक 30.08.1988 एवं संवत 2012 से लगातार उक्त हिस्से पर कब्जा काश्त होने के आधार पर प्रतिवादी सं0 1 लगा0 11 व हंसा पत्नी विजयसिंह का नाम कलमजन कर

उपखण्ड अधिकारी
उरोद (कोटपूतली-बहरोड़)

उसके स्थान पर खातेदार वादी को घोषित किया जाने एवं प्रतिवादीगण को हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाने एवं दिगर दादरसी जो करीने इंसाफ हो बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण प्राप्त करने की रिलीफ प्रदान किये जाने बाबत दावा पेश किया गया है।

3. वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण की तामिल रजिस्टर्ड डाक से नही होने पर, वकील वादी द्वारा प्रतिवादीगण की तामिल बाबत प्रार्थना पत्र आदेश 5 नियम 20 जा0दी0 का पेश किया गया। वादी के प्रार्थना पत्र को उचित मानते हुऐ प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादीगण की तामिल जरिये अखबार प्रकाशित करवाने के आदेश दिये गये। प्रतिवादीगण की तामिल अखबार मे प्रकाशित करने के बावजूद भी प्रतिवादीगण न्यायालय मे असालतन वकालतन उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध 05.05.2025 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी जाकर, पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई।

4. वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य के रूप मे पी.ड.–1 स्वंय वादी मनोज कुमार के तथा पी.ड.–2 मनीराम पुत्र फूलसिंह के तथा पी.–3 सुखीराम के बयान शपथ पत्र पेश किये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे जमाबन्दी संवत 2073 से 76 प्रदर्शत–1, जमान्दी संवत 2045 प्रदर्श–2, इंतकाल प्रदश–3,लिखतम दिनांक 30.08.1988 प्रदर्श–4, नोटिस 80 सीपीसी प्रदर्श–5, अखबार की प्रति प्रदर्श–6 पेश की गई ।

5. प्रतिवादीगण की एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी है,जिनके द्वारा कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किये गये। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

6. वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा अपने दावा के तथ्यो को दौहराते हुऐ तर्क दिये गये की वाद ग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 लगा0 11 के बुजूर्ग विजयसिंह पुत्र मनपालसिंह के दर्ज थी। वाद ग्रस्त भूमि पर वादी के बुजूर्ग सुलतानसिंह इस हिस्से पर पुराने समय से अर्थात बुजूर्गो के समय से मकान बनाकर रह रहा था। लेकिन रिकार्ड मे खातेदारी विजयसिंह के नाम से दर्ज थी। इस बाबत पंचायत मिटिंग मे प्रतिवादीगण के बुजूर्ग विजयसिंह ने यह स्वीकार किया गया कि मेरे नाम से दर्ज हिस्सा–1/2 पर सुलतानसिंह के काफी वर्षो से पुश्तैनी मकान बने हुऐ है, इसलिए मेरे नाम से दर्ज खातेदारी हिस्से का मालिक सुल्तानसिंह है यह तथ्य लिखतम दिनांक 30.08.1988 मे अंकित किये गये है। इसलिए वादी का वाद ग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से पर संवत 2012 से पूर्व एवं लगातार कब्जा होने के कारण एडवर्स पजेशन साबित है। वादी के बुजूर्ग सुलतानसिंह ने एडवर्स पजेशन के आधार पर वादग्रस्त भूमि की खातेदारी अपने नाम से दर्ज करवाने के लिए बन्दोबस्त संवत 2042 मे सैटलमेन्ट अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था लेकिन सैटलमेन्ट अधिकारी द्वारा वादी के बुजूर्ग के नाम से गलती व लापरवाही से खातेदारी दर्ज नही की गई । इसके बाद प्रतिवादीगण के बुजूर्ग विजयसिंह द्वारा की गई लिखतम दिनांक 30.08.88 के आधार पर राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज करवाने के लिए राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारियो को लिखतम दी थी तथा वाद ग्रस्त भूमि की बाबत तहसीलदार बहरोड द्वारा वादी के बुजूर्ग सुलतानसिंह के पक्ष मे दिनांक 31.10.1988 को निर्णय पारित किया गया है उसमे स्वंय विजयसिंह द्वारा अपना जबाब पेश किया उसमे लिखा है कि

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड (कोटपूतली–बहरोड)

अप्रार्थी सुलतानसिंह को गलत नोटिस दिया गया है इस भूमि पर सुलतानसिंह का पुराने समय से कब्जा है और पुश्तैनी मकान बने हुऐ है। इसलिए तहसीलदार बहरोड द्वारा विजयसिंह के जबाब के आधार पर वादी के पिता के पक्ष मे निर्णय पारित किया गया है। इस आधार पर राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारियो को एडवर्स पजेशन के आधार पर वादी के बुजूर्ग के नाम से खातेदारी दर्ज करनी चाहिऐ थी लेकिन राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारीयो द्वारा, वादी के बुजूर्ग के नाम से खातेदारी दर्ज नही करने के कारण, लिखतम कर्ता विजयसिंह के नाम से ही राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी चलती रही तथा लिखतम कर्ता विजयसिंह की मृत्यु होने पर वादस्त ग्रस्त भूमि मे 1/2 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 लगा. 11 व हंसा पत्नी विजयसिंह के नाम से दर्ज की गई है। जबकि प्रतिवादीगण का इनके बुजूर्गो के समय से मौके पर कब्जा नही है मौके पर कब्जा काश्त वादी के बुजूर्गो की रही है और अब मौके पर वादी काबिज है इसलिए वादी का वाद ग्रस्त खसरा नम्बर 80 वाके बहरोड तरफ गंगाबिशन के 1/2 हिस्सा जो प्रतिवादी सं0 1 लगा0 11 व हंसा पत्नी विजयसिंह के नाम से दर्ज है, पर संवत 2012 से लगातार कब्जा वादी एवं उनके बुजूर्गो का साबित है। जो एक एडवर्स पजेशन की श्रेणी मे आता है तथा लिमिटेशन एक्ट 1963 मे यह प्रावधान दिये हुये है कि अगर किसी निजी संपति पर किसी व्यक्ति का लगातार 12 वर्ष तक कब्जा रहता है और इस अवधि मे सम्पति के असली मालिक कानूनी कार्यवाही नही करता है तो असली मालिक के हक समाप्त हो जाते है और कब्जाधारी को एडवर्स पजेशन के आधार पर मालिकाना हक मिल जाता है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का बुजूर्गो के समय से संवत 2012 से लगातार कब्जा है और संपति के असली मालिक प्रतिवादीगण द्वारा या उनके बुजूर्गो द्वारा आज तक कोई किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नही की गई है। बल्कि मौके पर कब्जा वादी के बुजूर्ग का पुराने समय से होना एवं पुश्तैनी मकान बने होने की लिखतम दिनांक 30.08.1988 को की गई है। इसलिए लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 27 के तहत वाद ग्रस्त भूमि की खातेदारी, वादी प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए वादी का वाद पूर्ण रूप से साबित होने के कारण डिक्री किया जाने की प्रार्थना की गई एवं अपनी मौखिक बहस के समर्थन मे निम्न कानूनी विनिश्चय पेश किये गये :–

(1) *माननीय सुप्रीम न्यायालय उनवान कर्नाटका वक्फ बोर्ड बनाम यूनियन आर्फ इंडिया मे पारित निर्ण दिनांक 16 अप्रेल 2004*
(2) *माननीय सुप्रीम न्यायालय उनवान नीलम गुप्ता बनाम राजेन्द्र व अन्य मे पारित निर्णय 2023*
(3) *माननीय सुप्रीम न्यायालय उनवान बेनीप्रसाद (डी) बनाम दुर्गादेवी मे पारित निर्णय 2023*

7. हमने वकील वादी की बहस पर गहनता से मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–15 एवं धारा–19 के तहत मुतनाजा आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के लागू होने के समय से ही बतौर काश्तकार काबिज होने के आधार पर खातेदारी अधिकार निहित होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–15 का

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–15 का उद्धरण निम्न प्रकार है:–

> ***15. Khatedar tenants***— *(1) Subject to the provisions of section 16 and clause (d) of Sub-section (1) of section 180* ***every person who, at the commencement of this Act, is a tenant of land*** *otherwise than as a subtenant or a tenant of Khudkasht or who is, after the commencement of this Act, admitted as a tenant otherwise than a sub-tenant or tenant of Khudkasht or an allottee of land under, and in accordance with, rules made under section 101 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956) or who acquires Khatedari rights in accordance with provisions of* ***this Act or of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagir Act, 1952 (Rajasthan Act VI of 1952) or of any other law*** *for the time being in force* ***shall be a Khatedar tenant*** *and shall, subject to the provision of this Act be entitled to all the rights conferred; and be subject to all the liabilities imposed on Khatedar tenants by this Act.*

8. प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–15 के उक्त प्रकार अवलोकन से ज्ञात होता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–15 के तहत मुतनाजा आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के लागू होने के समय दिनांक 15.10.1955 से ही बतौर काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है। प्रकरण में अब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–19 का अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–19 का उद्धरण निम्न प्रकार है:–

> ***19. Conferment of rights on certain tenants of Khudkasht and sub tenants***— *(1) Every person who, at the commencement of this Act—*
>
> *(a) was entered in the annual registers then current as a tenant of Khudkasht or sub-tenant of land other than grove land, or*
>
> ***(b) was not so entered but was a tenant of Khudkasht or sub-tenant of land other than grove land***
>
> *shall as from the date of commencement of the Rajasthan Tenancy (Amendment) Act, 1959, hereafter in this Chapter referred to as the appointed date, become, subject to the other provisions contained in this Chapter, the Khatedar tenant of such part of the land held by him as does not exceed the minimum area prescribed by the State Government for the purpose of clause (a) of sub-section (1) of section 130 or exceeds the maximum area from which such person is liable to ejectment under clause (d) of the said sub-section of the said section and rights in improvements in that part of the said land shall also accrue to such person.*

9. प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–19 के उक्त प्रकार अवलोकन से ज्ञात होता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की

उपखण्ड अधिकारी

धारा–19 के तहत मुतनाजा आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के लागू होने के समय दिनांक 15.10.1955 से ही बतौर काश्तकार काबिज होने, चाहे राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो या दर्ज नहीं हो, के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

10. वादी का प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–19 के तहत मुतनाजा आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के लागू होने के समय दिनांक 15.10.1955 से ही बतौर काश्तकार काबिज होने, चाहे राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो या दर्ज नहीं हो, के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने से संबंधित हैं। प्रकरण में यह देखा जाना है कि वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के लागू होने के समय दिनांक 15.10.1955 से ही बतौर काश्तकार काबिज रहा है अथवा नहीं।

11. इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी प्रदर्श–1 का अवलोकन किया जाने से वाद ग्रस्त खसरा नम्बर 80 वाके ग्राम बहरोड तरफ गंगाबिशन मे विजयसिंह के वारिसान के नाम से हिस्सा–1/2 दर्ज रिकार्ड हैं तथा प्रदर्श–4 लिखतम दिनांक 30.08.1988 के मुताबिक विजयसिंह पुत्र मनपाल द्वारा अपने खातेदारी हिस्सा–1/2 पर पुराने समय से सुलतानसिह पुत्र मंगलराम का पुश्तैनी मकान बनाकर कब्जा स्वीकार किया गया है तथा तहसीलदार बहरोड द्वारा की गई कार्यवाही धारा 90ए, 91 एलआरएक्ट के तहत की गई कार्यवाही मे खातेदार विजयसिंह ने अपने जबाब मे यह कथन किया है कि खसरा नम्बर 80 रकबा 0.19 है0 नोटिस मे दर्शित भूमि पर सुलतानसिंह का ही कब्जा है और सुलतानसिंह के पुश्तैनी मकान बने हुऐ है और मकान संवत 1935 से बने होना बताये गये है जिसके आधार पर तहसीलदार बहरोड द्वारा दिनांक 30.10.1988 को अप्रार्थी सुलतानसिंह के पक्ष मे निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार विवादित आराजी पर वादी का संवत 2012 से लगातार कब्जा होने के तथ्य पूर्ण रूप से साबित होता है। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना न्यायालय मे उपस्थित नही हुऐ है और ना ही वादी के वाद के खण्डन के लिए कोई दस्तावेज या तथ्य पेश किये गये है। इसलिए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो के आधार पर वाद ग्राम भूमि मे प्रतिवादी सं0 1 लगा0 11 एवं मृतका हंसा पत्नी विजयसिंह के नाम से दर्ज खातेदारी हिस्सा–1/2 पर वादी का संवत 2012 से लगातार कब्जा होना साबित होता है। ऐसी स्थिती मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियत 1955 के प्रावधानो के मुताबिक ऐसे कब्जाधारी को खातेदारी अधिकार दिये गये है। लेकिन राजस्व रिकार्ड मे कब्जाधारी के नाम से खातेदारी दर्ज नही करना, राजस्व कर्मचारियो की गलती जाहीर होती है।

12. साथ ही प्रकरण में लिमिटेशन एक्ट की धारा 27 का अवलोकन किया। धारा 27 लिमिटेशन एक्ट के अनुसार " अगर कोई व्यक्ति किसी प्राईवेट प्रॉपर्टी पर 12 साल तक कब्जा बनाए रखे और उस दौरान असली मालिक ने कोई कानूनी कार्यवाही नही की तो असली मालिक का हक खत्म हो जाता है और कब्जाधारी को मालिकाना अधिकार मिल सकता है" है। यहां पत्रावली पर ऐसे कोई तथ्य उपलब्ध नही है कि वादग्रस्त संपति के असली मालिको द्वारा कोई कानूनी कार्यवाही की गई हो। इसलिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 27 के प्रावधान इस प्रॉपर्टी पर पूर्ण रूप से लागू होता है। इसी प्रकार वादी की ओर से पेश कानूनी विनिश्चय एवं निर्णय का अवलोकन किया गया जो निर्णय

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड (कोटपूतली–बहरोड)

माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 65 के प्रावधानो के मुताबिक पारित किये गये है। जो सभी निर्णय एवं कानून उक्त अनुवानी प्रकरण पर चस्पा पूर्ण रूप से चस्पा होते है।

13. प्रकरण में वाद ग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा संवत 2012 से प्रतिवादीगण एवं उनके बुजूर्गो की जानकारी मे रहना साबित है। इस बाबत प्रतिवादीगण के बुजूर्ग विजयसिंह द्वारा दिनांक 30.08.1988 को की गई लिखतम एवं तहसीलदार बहरोड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.10.1988 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी के बुजूर्ग सुलतानसिंह का मौके पर प्रतिवादीगण के बुजूर्ग की जानकारी मे कब्जा रहा है और प्रतिवादी व उनके बुजूर्गो द्वारा आज तक वादग्रस्त भूमि पर से वादी एवं उनके बुजूर्गो का कब्जा हटाने बाबत कोई **कानूनी कार्यवाही नही की गई है। मौके पर** वादी के बुजूर्गो के समय से पुश्तैनी **मकान बने हुऐ है। इसलिए लिमिटेशन अधिनियम** 1963 की धारा 65 के तहत **वाद ग्रस्त भूमि पर से असली मालिको** के अधिकार समाप्त हो चुके है और **वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955** के लागू होने के समय दिनांक 15. **10.1955 से ही बतौर काश्तकार काबिज** रहने के आधार पर कब्जाधारी को **मालिकाना अधिकार दिया जाना उचित** प्रतीत होता है। राजस्थान काश्तकारी **अधिनियम** कि धारा 15 व 19 के परिपेक्ष्य में उक्त पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात एवं तथ्यो के पूर्ण अवलोकन से वादी का वाद डिक्री होने योग्य है।

।। आदेश।।

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि खसरा नम्बर हाल 80 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम बहरोड तरफ गंगाबिशन तह0 बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड पर से प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 प्रत्येक का हिस्सा–1/60 पर से तथा प्रतिवादी सं0 4 लगा0 11 प्रत्येक का हिस्सा–1/20 पर से तथा मृतक हंसा पत्नी विजयसिंह अहीर निवासी बहरोड का हिस्सा–1/20 पर से नाम कलमजन किया जाकर उक्त कुल हिस्सा–1/2 का खातेदार वादी को घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे अंकन करने का आदेश दिया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो तथा पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दफतर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 25/11/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

रामकिशोर मीणा (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी, बहरोड
बहरोड (कोटपूतली-बहरोड)

।। पर्चा डिक्री ।।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री रामकिशोर मीना–।। (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू :	निर्णय दिनांक
138 / 2024	29.07.2024	25/11/25

उनवान:

1. मनोज पुत्र नरेन्द्र पौत्र सुलतान जाति अहीर निवासी बहरोड तरफ गंगाबिशन तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 ।

.....वादी

बनाम

1. अतुल कुमार पुत्र राजकुमार पौत्र विजयसिंह जाति अहीर
2. अनुप देवी पत्नी राजकुमार पुत्रवधु विजयसिहं जाति अहीर
3. राहुल कुमार पुत्र राजकुमार पौत्र विजयसिहं जाति अहीर
4. अशोक कुमार पुत्र विजयसिहं जाति अहीर
5. कान्ता पुत्री विजयसिहं जाति अहीर
6. दया पुत्री विजयसिहं जाति अहीर
7. धर्मवीर पुत्र विजयसिहं जाति अहीर
8. नरेश पुत्र विजयसिहं जाति अहीर
9. प्रेम पुत्री विजयसिहं जाति अहीर
10. शारदा पुत्री विजयसिहं जाति अहीर
11. सुशीला पुत्री विजयसिहं जाति अहीर सभी निवासी बहरोड तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 ।
12. उप पंजीयक बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 ।
13. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थिति :– श्री मोहनलाल गुप्ता योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि खसरा नम्बर हाल 80 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम बहरोड तरफ गंगाबिशन तह0 बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड पर से प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 प्रत्येक का हिस्सा–1/60 पर से तथा प्रतिवादी सं0 4 लगा0 11 प्रत्येक का हिस्सा–1/20 पर से तथा मृतक हंसा पत्नी विजयसिंह अहीर निबासी बहरोड का हिस्सा–1/20 पर से नाम कलमजन किया जाकर उक्त कुल हिस्सा–1/2 का खातेदार वादी को घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे अंकन करने का आदेश दिया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/11/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

रामकिशोर मीणा–।।
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड (कोटपूतली–बहरोड)